

कार्यालय वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

पत्रांक: 3611/14-1

दिनांक, अलीगढ़ अप्रैल, 25, 2018

सेवा में

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

विषय:

जनपद हाथरस में पीलीभीत-भरतपुर मार्ग (एस0एच0-33) किमी0 219-220 के मध्य बांयी पटरी पर ग्राम हाथरस देहात के खसरा संख्या 176 में एस्सार ऑयल लि0 द्वारा विकसित किये जा रहे नवीन रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण में प्रभावित 0.02775 हे0 संरक्षित वन भूमि का बिना पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति।

संदर्भ:

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) लखनऊ का पत्रांक- 8बी/06/40/2016/एफ.सी./902 दिनांक 15.03.2018 एवं आपका पत्र संख्या 2700/हाथरस/15288/2015 दिनांक 21.03.2018


महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रस्ताव में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय लखनऊ के संदर्भित पत्र द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण कर प्रभागीय वनाधिकारी, हाथरस वन प्रभाग, हाथरस ने पत्र संख्या 2910/14-1 दिनांक 24.04.2018 द्वारा उपलब्ध करायी गयी है। अतः प्रभागीय वनाधिकारी, हाथरस वन प्रभाग, हाथरस के 2910/14-1 दिनांक 24.04.2018 द्वारा प्रेषित बिन्दुवार अनुपालन आख्या के आधार पर निम्नप्रकार बिन्दुवार आख्या प्रेषित है।

क्र0सं0	आपत्ति	उत्तरालेख
1	प्रकरण में प्रस्तावित वन भूमि एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित वन भूमि की ऑनलाइन kml file अपलोड की गयी है एवं प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत की गयी kml file की सी0डी0 DSS Analysis के दौरान नहीं खुल रही है। जिसके कारण प्रस्तुत की गयी kml file का DSS Analysis नहीं हो पा रहा है।	प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत की गयी kml file की सी0डी0 DSS Analysis के लिए पुनः संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,



(बी0 प्रभाकर)


वन संरक्षक,

अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

पत्रांक 3611/14-1 समदिनांकित।

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, हाथरस वन प्रभाग, हाथरस को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि डिवीजनल मैजजर, एस्सार ऑय लि0 ए-5, सेक्टर-3, नोएडा, उ0प्र0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



(बी0 प्रभाकर)

वन संरक्षक,

अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।